**भारत सरकार**

**योजना मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2416**

**दिनांक 13 फरवरी, 2014 को उत्तर देने के लिए**

**यू.आई.डी. के लिए नामांकन हेतु पंजीयकों को वित्तीय सहायता**

**2416. श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार:**

**श्री नतुजी हालाजी ठाकोरः**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अब तक प्रत्येक सफल विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी.) नामांकन के लिए पंजीयकों को 50 रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी;

(ख) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 2012 से पंजीयकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता घटाकर 40 रुपए कर दी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को प्रत्येक सफल विशिष्ट पहचान पत्र के नामांकन के लिए 50 रुपए की वित्तीय सहायता को बनाए रखने हेतु गुजरात की राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) क्या भारत सरकार पंजीयकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में अपने निर्णय की समीक्षा करेगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री-संसदीय कार्य और योजना**

**(श्री राजीव शुक्ल)**

(क) और (ख): भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) समय-समय पर व्यय संबंधी वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार से प्राप्त अनुमोदनों के आधार पर, सृजित किए गए प्रत्येक आधार के लिए रजिस्ट्रार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ईएफसी की सिफारिश पर, सरकार ने प्रारंभिक 20 करोड़ नामांकनों के संबंध में आधार संख्या सृजित करने के लिए रजिस्ट्रार को 50 रू. प्रति आधार की दर पर वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया है। उपलब्ध लागत डाटा, कार्य के क्षेत्र में विभिन्नता, नामांकन प्रक्रिया इत्यादि के चरण-I के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चरण-II के दौरान सृजित किए जाने वाले आधार के लिए 40 रू. प्रति आधार की दर से वित्तीय सहायता मंजूर की जो दिनांक 01/04/2012 से लागू है।

(ग): पूर्व स्तरों तक वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन की जाँच की गई और गुजरात सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लागत डाटा के आलोक में अभ्यावेदन पर सहमति नहीं हुई। तदनुसार, गुजरात सरकार को सूचित कर दिया गया।

(घ): रजिस्ट्रारों के लिए वित्तीय सहायता की समीक्षा करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

*******